



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo.champawat@rediffmail.com / Fax-(05965)230180



पत्रांक 4068/ 12-1

दिनांक, चम्पावत, 10.03.2026।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.98 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक FILE NO. IRO-DDN / FRCM/01/2022 दिनांक 01.10.2024।


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है इस कार्यालय के पत्रांक 322/12-1, दिनांक 19.07.2025 द्वारा पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या को निम्नानुसार संशोधित कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है:-

1.	How the plantation is done without taking approval of the Government of india?	<p>जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.98 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. परियोजना हेतु भू हस्तान्तरण की कार्यवाही के प्रारम्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि जनपद की किसी अन्य परियोजना में प्रयुक्त हो जाने के कारण उक्त भूमि परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं हो पायी। (संलग्नक-1)</li><li>2. मूल रूप से प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल किसी अन्य परियोजना में प्रयुक्त हो जाने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही उक्त सी०ए० हेतु भूमि का चयन वन विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्वी छीड़ा के क०सं० 17,18 एवं 19 में किया गया एवं ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 एवं पार्ट-2 में भी तदनुसार संशोधित कर दिया गया था। (संलग्नक-2)</li><li>3. प्रस्ताव में संशोधन की सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संबोधित प्रयोक्ता एजेंसी कार्यालय के पत्रांक 649/03 पी०एम०जी०एस०वाई० दिनांक 21.07.2018 एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को संबोधित इस कार्यालय के पत्रांक 516/12-1, दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से दी गई। (संलग्नक-3)</li><li>4. भारत सरकार से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में त्रुटिवश क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सी०ए० लैण्ड का नाम प्रस्ताव के प्रारम्भ में अंकित आमनी सिविल दर्शाया गया है। जबकि उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं से स्थिति स्पष्ट हो गयी है। इस क्रम में उक्त सी०ए० लैण्ड के नाम में संशोधन हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 2966/12-1, दिनांक 10.05.2023 के माध्यम से इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया। (संलग्नक-4)</li></ol>
----	--	---


		अतः महोदय से अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल आमनी सिविल के स्थान पर पूर्वी छीड़ा कक्ष संख्या 17,18 एवं 19 अंकित करने की कृपा करें ताकि प्रकरण पर तदनुसार विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।
2.	Plantation Journal of the CA area shall be submitted.	प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,  
  
(आशुतोष सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 4068 / 17-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, एन0पी0सी0सी0, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य, पी0आई0यू0, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(आशुतोष सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /  
Integrated Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-  
248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू0सी0पी0/06/99/2015/एफ.सी./276

दिनांक: 31/05/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद- चम्पावत में सिमियाउरी से आमनी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.76 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/Road/10144/2015)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-2118/FP/UK/ROAD/10144/2015 दिनांक 6.03.2022 online received dt. 19-05-2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 06.08.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-23.10.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- चम्पावत में सिमियाउरी से आमनी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.76 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-


1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण  
(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.52 हे० ग्राम आमनी सिविल खसरा सं० 559 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।



रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।


17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

भवदीय,

  
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)  
31/5/23  
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

  
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)  
सहायक महानिरीक्षक (वन)

PART - I  
(To be filled up by User Agency)

## A. General Details

## A-1. Project Details

- (i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/9917/2015  
(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Construction of Leti-Riyasi to Tarkuli M/R under PMGSY.  
(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : The proposal has been made for construction of Leti-Riyasi to Tarkuli Motor Road under PMGSY which shall provide connectivity to villages Hiyali, Barkum, Riyasi Baman Gaon, Tarkuli, Amra with a total population of 1120. Thus total population being served with this road  
(iv). State : Uttarakhand  
(v). Category of the Proposal : Road  
(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear  
(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 694.6  
(viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 4.98  
(ix). Non-forest land required for this project(in ha.): 7.83  
(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 99

## A-2. Details of User Agency

- (i). Name : PMGSY  
(ii). Address1 : OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWAT  
(iii). Address2 : NIL  
(iv). State : Uttarakhand  
(v). District : Champawat  
(vi). Pin : 262523  
(vii). Landmark : NEAR POST OFFICE  
(viii). Email address : eepmgsychampawat@rediffmail.com  
(ix). Landline Telephone No. : 5965-230148  
(x). Fax No. : 5965-0  
(xi). Mobile No. : 9411521847  
(xii). Website (if any) : NIL  
(xiii). Legal status of User Agency : State Government

## A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: Sanjay  
(ii). Middle Name: NIL  
(iii). Last Name: Tewari  
(iv). Gender: Male  
(v). Designation: ASSISTANT ENGINEER  
(vi). Address 1: OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWAT  
(vii). Address 2: NIL  
(viii). State: Uttarakhand  
(ix). District: Champawat  
(x). Tehsil: Champawat  
(xi). Pin: 262523  
(xii). Landmark: NEAR POST OFFICE  
(xiii). Email Address: eepmgsychampawat@rediffmail.com  
(xiv). Landline Telephone No.: 5965-230148  
(xv). Fax No.: NIL  
(xvi). Mobile No.: 7534880799  
(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

## B. Details of land required for the Project

## B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

## B-2. Details of forest land proposed to be diverted

## B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Champawat	4.98	7.83
Total		4.98	7.83

## B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Champawat	4.98	7.83
Total		4.98	7.83

## B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	amra RF	1.68	0
2	amra	0	0.675
3	morkot RF	1.9	0

6	Barkum	0.07	2.16
7	Riyasi Bamangaon	0.14	1.08
<b>Total</b>		<b>4.98</b>	<b>7.83</b>

श्रीमदन्क-२

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Road	4.48	6.09
2	muck	0.5	1.74
<b>Total</b>		<b>4.98</b>	<b>7.83</b>

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Champawat

(i). Area of forest land proposed to be diverted(In ha.) : 4.98

(ii). Nature of the Project: Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(In ha.)	Kml File of Segments <small>(To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).</small>
1.	4.98	<a href="#">View File</a>

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station:

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined:

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 0
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 10800

F. Displacement of People due to the Project, if any

- (i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

- (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

- (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

- (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: Yes
- (a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted:

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

- (i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes
- (ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Yes
- (iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1
- (iv). No. of patches: One

District 1. : Champawat

(a). Village: Degraded

(b). Area(In ha.): 9.96

(c). Copy of KML file of the patch: [View File](#)

(d). Khasra details: purvi chheera

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof:

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency:

(h). Copy of non encumbrance certificate for the forest land:

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate
2		A short narrative and importance of the project
3		Administrative and Financial sanction
4		Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, revenue department)
5		Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum
6		Category wise (RF,civil soyam, Van panchayat and private nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha
7		Bar Chart with index
8		Certificate of felling minimum trees during the project work
9		Whether project area is a part of National Park or sanctuary and arial distance of the project from National Park or sanctuary
10		No violation has taken place, FC Act. 1980 reg
11		NOC from local Gram Sabhas
12		Certificate- work has not been started reg.
13		Geologist Report
14		Task Force report.
15		Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition
16		Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas
17		No historical/monumental or relegeous place will be effected certificate reg
18		Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the project
19		Undertaking to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project.
20		Benefited villages/Families/Population Certificate
21		Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV (by user agency)
22		Cost of the forest land and lease rent certificate
23		Authority Letter.
24		Objection removal letter.
25		Check List
26		Check list and Form A, Part 1 wide letter no 210/3pmgsy, dated 16-03-2018
27		NPV calculation as per guideline of honourable supreme court
28		muck disposal scheme
29		compensatory afforestation scheme
30		Objection removal letter.
31		Land Schdule
32		Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Private Notified land and in Nap Land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled )
33		Felling of Oak trees
34		Comparative chart showing statement of both alignment or alternate site explored for the proposed project and reasons for their rejection
35		Objection removal letter

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (ii) District : Champawat
- (iii) Forest Division : Champawat
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 4.98
- (v) Category of the Proposal: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Champawat	3.08	Reserved Forest
2	Champawat	1.13	Revenue Forest
3	Champawat	0.77	Village Forest
<b>Total</b>		<b>4.98</b>	

Division 1. : Champawat

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Champawat	4.98
<b>Total</b>		<b>4.98</b>

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	4.98	0.3	Eco 5
<b>Total.</b>	<b>4.98</b>		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	{0-30}cm.	{31-60}cm.	{61-90}cm.	{91-120}cm.	{121-150}cm.	{>150}cm.
1	Myrica esculenta	kafal	0	0	22	7	3	0
2	Rhododendron arboreum	buraash	0	0	10	11	6	5
3	Alnus Nepalensis	utees	0	0	135	46	19	4
4	Pinus roxburghii	chir	0	0	70	107	116	61
5	Syzgium Cumini	jamun	0	0	36	13	4	0
6	Lagerstroemia Parviflora	dhaudi	0	0	2	5	0	0
7	Terminalia Chebula	harad	0	0	2	1	0	0
8	Sal	saal	0	0	52	15	1	0
9	Quercus leucotricophora	baaz	0	0	53	39	32	25
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>244</b>	<b>181</b>	<b>95</b>
<b>Sub Total (No of Trees.)</b>			<b>902</b>					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : 3.08 ha. reserved forest area belong to chir karya vritt

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : less vulnerable

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.0

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : nil
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9. Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

- (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Champawat	Degraded	9.96	purvi chheera		

- (ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:
- (iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:
- (iv). Copy of CA scheme details:
- (iv). Copy of CA scheme details: NA

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks

25/08/2015-2

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on (date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Champawat	176600	132337.5	390.0307	197	524.175	01/07/2015	524.175	145

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site Inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Champawat	North Kumaun	DFO	Yes	One		17/06/2015
	North Kumaun	CF	Yes	One		25/08/2015

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Champawat	North Kumaun	DFO	Recommended			
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal families 174 of 5 villages will be benefited, hence recommended.		Yes
		Nodal Officer	Recommended	As per file attached		

Specific recommendation of the State Government (Part V)

17. Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason ( Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	18/12/2015		State Govt. Officer	No Data	

Stage-I Clearance Report

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	Regional Office	8B/UCP/06/277/2015/FC	03/10/2018	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Received Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Demmand Generated By User Agency	Demmand Verified By Nodal Officer	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/9917/2015	ROAD99172015703	6,047,363.00	6,047,363.00	02/04/2019	ICICR52019040200871872	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	26/02/2019	02/03/2019	
FP/UK/ROAD/9917/2015	ROAD99172015294	1,734,086.00	1,734,090.00	28/12/2023	PUNBR52023122812744071	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	NA	NA	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

- (i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes
- (ii). Total Land Identified for raising CA: 9.96
- (iii). No. of Maintenance years: 10
- (iv). Total No. of Patches/Parcel: 1

No. of patches : 1

Patch wise details		
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)
1	Block(Polygon)	9.96

Status of CA Land so identified : Forest Area

Site Name : Purvi Chhira Block

Location Details : Block No 17, 18 & 19

Uploaded GPS File :

Uploaded Scanned copy of Map :

Status of CA Land so identified	
Name of Forest.	Legal Status of Forest Land
Kali Kumaon Range, Purvi Chhira	Other Forest Land

20. Mutation Details Verified By Nodal Officer

Proposal No.	Verified Date	Mutation Letter	Remarks
FP/UK/ROAD/9917/2015	17 May 2020	No Data	as (-er filled detail

Compliance Details Submitted by User Agency(oid)

Proposal No.	Compliance Details submitted on(Date)	Reject Remarks	Reject Date	Uploaded Letter
FP/UK/ROAD/9917/2015	24 Jun 2023	EDS: • please submit hard copy of the compliance for EDS raised by GOI office on dated 6-3-23 to nodal office for perusing proposal to GOI office.	21 Sep 2023	
FP/UK/ROAD/9917/2015	01 Aug 2024	EDS: As per attachment	22 Oct 2024	
FP/UK/ROAD/9917/2015	07 Apr 2025	EDS: Kindly upload EDS Point wise reply	28 Apr 2025	

22. Compliance Details Verified by Nodal Officer

Proposal No.	Remarks	Verified Date	Uploaded Letter
FP/UK/ROAD/9917/2015		18 Jul 2023	

23. Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK/ROAD/9917/2015		Approved In-Principle	No Data

PMGSY

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT  
Phone - fax 05965-230148 E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक ..... 649 / 03 पी०एम०जी०एस०वाई०

दिनांक ..... 21 / 07 / 2018

सेवा में,  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत में लेटी - रियासी - तरकुली मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/9917/2015) की आपत्तियों के सम्बन्ध में।

होदय,  
उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित की जा रही है।

क्र.सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	Checklist and form A Part I,II,III,IV and V duly filled in and signed by the concerned officers not provided in the hard copy.	Checklist समायोजित कर प्रस्ताव की हार्ड प्रति (मूल में) इस कार्यालय के पत्रांक 649/03 पी०एम०जी०एस०वाई०, दिनांक 21.07.2018 द्वारा के माध्यम से प्रेषित है।
2	Scanned copy of geo referenced digital map uploaded at C (iv) Part I is not proper. Geo coordinates have also been written in hand and provided only for start and end points. Proper digital map showing geo coordinates at all the curves may be provided and it should not be plotted on google earth image.	Geo Reference Map प्रस्ताव में ऑनलाइन के C (iv) Part I में अपलोड कर दिया गया है
	At part I E no employment data provided.	Online part I E में Employees की संख्या भर दी गयी है।
	FRA certificate and District level committee meeting proceedings uploaded as well as provided in hard copy is for 4.935 ha whereas it should be for 4.98 ha. In addition the meeting of Sub Divisional Level Committee was held on 27.12.2014 whereas Gram Sabha Meeting was held on 27.01.2015, which is not correct order of meetings under FRA.	संशोधन कर Online Part I, Para K में अपलोड कर दिया गया है।
	In component wise breakup at uploaded at B 2.4, the area proposed for road has been shown as 4.48 ha whereas in category wise length and width of the road provided in additional documents in Part I, 0.5 ha has been shown for muck dumping also totaling the land requirement as 4.98 ha. The land schedule uploaded with Part I also shows requirement of forest land as 4.48 ha. This may be clarified.	Component wise breakup ऑनलाइन के B 2.4 में अपलोड कर दिया गया है।

क्र० सं०	आपत्तियां	निराकरण
6	Administrative Approval uploaded in Part I is issued during 2010. May confirm whether the same is still valid.	मार्ग की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2010 में किया गया है जो 10 वर्ष के लिए वैध है तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 250+ आवादी वाले ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु यह योजना चलाई गयी है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है, जिसकी वैधता वर्तमान तक है।
7	Ownership Proof for CA land not uploaded at L iv f Part I.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा अवनत वन भूमि दी गयी है, जिसे ऑनलाइन के L iv f Part I में अपलोड कर दिया गया है।
8	In Part II column 4 and in the inspection report of CF the no. of trees mentioned is 902 whereas in Part I it is shown as 753/754. In part I also it is required to be clarified whether in Van Panchayat Land the no. of trees is 106 or 105 and accordingly total no. 754 or 753.	यह बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
9	The no. of trees involved is 754 which is too high and of mixed broad leaved species. State Govt may explore alternate alignment to reduce the no. of trees.	यह बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
10	The Muck Dumping plan not proper. 62443.35 cum muck is proposed to be dumped in dumping yard which is told to be partly in civil soyam land and partly nap land. However, the capacity of civil soyam land itself is shown as 62749 cum. It is not understood why nap land has also been earmarked for muck dumping or vice versa when muck to be dumped is comparatively less.	Muck Dumping scheme संशोधित कर Additional Attachment में अपलोड कर दिया गया है।
11	Though in some of the documents forest land required for muck dumping is shown as 0.5 ha, in muck dumping plan the requirement of land for muck dumping is shown as civil soyam 4.935 ha and nap land 0.688 ha. May explain.	मक डिस्पोजल योजना Additional Attachment में अपलोड किये गये है।
12	In the NPV calculation the Eco Class has been mentioned as II which is littoral and swamp forest which do not exist in Uttarakhand. Also the density is mentioned as 0.3 but the rate has been applied for dense forest.	संशोधित NPV calculation, Additional Attachment में अपलोड कर दिया गया है।

प्रति  
 29/7/18  
 प्रशासनिक अधिकारी  
 वन विभाग, देहरादून

भवदीय  
 अधिशासी अभियन्ता  
 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत।

अलय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,

Email-dfo\_chamawat\_uta@yahoo.co.in

दिनांक, चम्पावत 14-8-2018।

सेवा में,

वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाँऊ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय:- लेटी रियासी तरकुली मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 9917/2015)

संदर्भ:- आपका आनलाईन ई0डी0एस0 दि0 02.03.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

प्रश्न	उत्तर
Chechlist and form A part I,II,III,IV and V duly filled in and signed by the concerned officers not provided in hard copy.	चैकलिस्ट सहित हार्डकापी प्रस्तावक विभाग के पत्रांक 649/03 पी0एम0जी0एस0वाय0 दि0 21.07.2018 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है।
Scanned copy of geo-referenced digital map uploaded at c(iv) part 1 is not proper. Geo coordinates have also been written in hand and provided only for start and end points. Proper gigital map showing geo coordinates at all the curves may be provided and it should not be plotted on google earth image	नया geo-referenced digital map c(iv) part 1 में अपलोड कर दिया गया है।
At part 1 E no employment data provided	पार्ट 1 पैरा ई में सूचना संशोधित कर दी गयी है।
FRA certificate and District level committee meeting proceedings uploaded as well as provided in hard copy is for 4-935 ha whereas it should be for 4-98 ha. In addition the meeting of sub divisional level committee was held on 27-12-2014 whereas Gram Sabha Meeting was held on 27-01-2015, which is not correct order of meetings under FRA	एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संशोधन कर आनलाईन पार्ट 1 पैरा के में अपलोड कर दिया गया है
In component wise breakup at uploaded at B 2.4, the area proposed for road has been shown as 4.48 ha whereas in category wise length and width of the road provided in additional documents in Part I, 0.5 ha has been shown for muck dumping also totaling the land requirement as 4.98 ha. The land schedule uploaded with Part I also shows requirement of forest land as 4.48 ha. This may be clarified.	Component wise breakup ऑनलाइन के B 2.4 में अपलोड कर दिया गया है।
Administrative approval uploaded in Part I is issued during 2010. May confirm whether the same is still valid	मार्ग की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2010 में दी गयी जो कि 10 वर्ष के लिये वैध है तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु यह योजना चलायी गयी जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है जिसकी वैधता वर्तमान तक है।
1028 Ownership Proof for CA land not uploaded at L iv f Part	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा अवनत र

1.	दी गयी है, जिसे ऑनलाइन के L iv f Part I में अपलोड कर दिया गया है।
In Part II column 4 and in the inspection report of CF the no. of trees mentioned is 902 whereas in Part I it is shown as 753/754. In part I also it is required to be clarified whether in Van Panchayat Land the no. of trees is 106 or 105 and accordingly total no. 754 or 753.	वृक्षों की गणना में संशोधन करने के उपरान्त संख्या 890 पायी गयी।
The no. of trees involved is 754 which is too high and of mixed broad leaved species. State Govt may explore alternate alignment to reduce the no. of trees.	परियोजना में प्रमाणित चयनित एवं वैकल्पिक समरेखणों का तुलनात्मक विवरण आनलाईन पार्ट I में अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रस्तावित समरेखण ही उक्त मार्ग हेतु उपयुक्त पाया गया है।
The Muck Dumping plan not proper. 62443.35 cum muck is proposed to be dumped in dumping yard which is told to be partly in civil soyam land and partly nap land. However, the capacity of civil soyam land itself is shown as 62749 cum. It is not understood why nap land has also been earmarked for muck dumping or vice versa when muck to be dumped is comparatively less.	Muck Dumping scheme संशोधित के अन्तर्गत कुल 67021 cum मलुवा निस्तारित किया जाना है जिसमें 15000 cum वन भूमि में एवं 52021 cum नाप भूमि में निस्तारित किया जायेगा।
Though in some of the documents forest land required for muck dumping is shown as 0.5 ha, in muck dumping plan the requirement of land for muck dumping is shown as civil soyam 4.935 ha and nap land 0.688 ha. May explain.	मक डिस्पोजल योजना Additional Attachment में अपलोड किये गये है।
The NPV calculation the eco class has been mentioned as II which is littoral and swamp forest which do not exist in Uttarakhand. Also the debsity is mentioned as 0-3 but the rate has been applied for dense forest	संशोधित एन0पी0वी0 प्रमाण पत्र आनलाईन पार्ट 1 एडिशनल इंफोमेशन क0स0 2 में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय



(कुबेर सिंह बिष्ट)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्र संख्या 2966 / 12-1 चम्पावत, दिनांक 10.5.2023  
Email-cto\_champawat@rediffmail.com

श्रीता मै, 2

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमार्क मूल,  
उत्तरसम्पाद, अन्वेषण।

**विषय:-** जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.98 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य पी०आई०यू० चम्पावत की पत्र संख्या -11PZ.1463/22-23/255 दिनांक 08.03.2023।

माननीय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.98 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य पी०आई०यू० चम्पावत द्वारा 7 एवं 13 बिन्दु की सौद्धान्तिक स्वीकृति का अधिशेषित शर्तों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-


क्र.सं.	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.96 हे० ग्राम-आमनी सिविल सांयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने पर्याप्त ही इस कार्यालय द्वारा विशिष्ट स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि हेतु वन विभाग के काली कुमार्क वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कट 17,18,19 में अबनत भूमि का चयन किया गया तथा इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि परिवेश पोर्टल में भी की गई थी। भारत सरकार के स्तर से निर्गत सौद्धान्तिक स्वीकृति में त्रुटिवश क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का नाम आमनी सिविल 9.96 हे० दर्शाया गया है। जिस हेतु डा कार्यालय की पत्र संख्या 1458/12-1 दिनांक 29.11.2022 से पत्राचार भी किया गया है। चूंकि क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है तथा वन विभाग के स्वामित्व में है। अतः उक्त भूमि में हस्तान्तरण नामान्तरण की आवश्यकता नहीं है। (संलग्न संख्या -1, 2)
2	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है। (संलग्न संख्या -3.5, 6, 7)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर यद्योतरी छोटी है, तो यही हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा यचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन० पी० वी० यचनबद्धता प्रमाण पत्र पति प्रति संलग्न है। (संलग्न संख्या -4)
4	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित करे कि जमा की गयी राशि निधियां (CA cost, NPV fee.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सौद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि दिनांक को जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement Slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। (संलग्न- 6, 7)

5	में मान्य नहीं होगी। सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग की देखरेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न संख्या -8)
6	State Govt. will submit hard copy of check list, Part I to V and FRA certificate for revise area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चेकलिस्ट पार्ट की प्रति संलग्न है। (संलग्न-9.1 से 9.7)
7	State Govt. will submit scheme for planting 8000 trees in a lieu of 8.00 ha falling in MDF as per Ministry guidelines dated 08.11.2017.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 8.00 हे० भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रस्ताव संलग्न है। (संलग्न-10.1 से 10.3)
<b>अन्य शर्तें</b>		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-11)
2	एन०पी०वी० की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी हुयी दरों पर एन०पी०वी० देने को बाध्य होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन०पी०वी० की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी हुई दरों पर एन०पी०वी० देने को बाध्य होगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-12)
3	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.96 हे० ग्राम आमनी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अंदर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। तथा नोडल अधिकारी द्वारा सूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	दिये गये क्रमांक 1 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित वन विभाग के काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कक्ष 17, 18, 19 में 9.96 हे० अवनत भूमि का चयन किया गया तथा यह भूमि वन विभाग के पूर्णतया स्वामित्व में है। अतः उक्त भूमि में हस्तांतरण नामांतरण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-13)
4	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार लेवर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार लेवर कैम्प नहीं लगाया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-14)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊँचे आर०सी०सी० पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊँचे आर०सी०सी० पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-15)
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिस से आसपास के वनों को क्षति न पहुंचे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिस से आसपास के वनों को क्षति न पहुंचे। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-16)
7	परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र वनस्पतियों एवं वन्य जीवों किसी प्रकार कि क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र वनस्पतियों एवं वन्य जीवों किसी प्रकार कि क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-17)
8	वन भूमि का प्रयोग वन भूमि प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार कि पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का प्रयोग वन भूमि प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार कि पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-18)

<p>10. कम से कम वृक्षों का कटान - पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 902 से अधिक न हो।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कम से कम वृक्षों का कटान - पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 902 से अधिक न हो। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-19)</p>
<p>11. सड़क निमोण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय वन विभाग कि देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निमोण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय वन विभाग कि देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-20)</p>
<p>12. परियोजना से उत्तर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना से उत्तर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-21)</p>
<p>13. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-22)</p>
<p>14. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार नदिय में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार नदिय में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। (संलग्न-23)</p>


अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी मूनि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।  
 संलग्न- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

नवदीव,

  
 (आर.सी.काण्डपोल)  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 3966 / 12-1 दिनांकित।  
 प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्य पी0 आई0 यू0 चम्पावत को सूचनाार्थ प्रेषित।

PrC

  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

कैपा क्षतिपूरक

प्र. 13

डीडा नं. 17

जाली कुभाऊ वन क्षेत्र

क्षेत्रफल 9.96 ई

**वृक्षारोपण पंजिका**

**चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत**

गाँव - काक्ष सरवा 17 आराक्षत 9.96 ई

वि० सं० - वाराणसी

पंजीकृत वन क्षेत्र

वर्ष - 2018-19 व रोपण वर्ष - 2019-20

I

## वृक्षारोपण पंजिका

वन क्षेत्र

— काली कुमाऊ  
पूर्वी हीड़ा वीट

कक्ष संख्या - 17


क्षेत्रफल - 9.96 हेम्टेर

अग्रिम श्रृदा कार्य वर्ष - 2018-19

रोपण वर्ष - 2019-20

## -वृक्षारोपण से सम्बन्धित सूचना-


1. वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम - कक्ष संख्या 17 आरक्षित वन
2. अग्रिम मृदा कार्य वर्ष - 2018-19
3. बीट का नाम - पूर्वी दीड़ा
- ब्लॉक का नाम - वाराकोट
- तहसील का नाम - वाराकोट
- उप जलागम - सरयू
- सूक्ष्म जलागम - वन सना गाड़
4. क्षेत्र की ढाल - उत्तर / पश्चिम
5. मृदा का प्रकार - बलुई
6. क्षेत्र की ऊंचाई -  $1124 \text{ मी}^{\circ} \text{N} - 029^{\circ} 28' 52.5'' \text{E} - 086^{\circ} 07' 11.7''$
7. क्षेत्रफल (हैक्टेयर) - 9.96 हैक्टेयर
8. योजना का नाम - क्षत्रीपुर में वृक्षारोपण योजना
9. प्रति हैक्टेयर रोपित पौध - 1600
10. कुल रोपित पौधों की संख्या - 15936
11. वृक्षारोपण आरम्भ करने की तिथि - 01/07/2019
12. वृक्षारोपण समाप्त करने की तिथि - 28/07/2019


  
 सहायक  
 कबी कुमार्ड रेन्ज  
 वन प्रभाग

(2)


वृक्षारोपण का पूर्व इतिहास तथा  
कार्य योजना के अनुसार वर्तमान स्थिति

आरक्षित वन कक्ष संख्या 17 - चम्पावत वन प्रभाग के, काली  
कुम्भिक वन क्षेत्र के पूर्वी दीवाल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।  
यह क्षेत्र -चम्पावत मुख्यालय -चम्पावत से उत्तर दिशा की  
ओर विकास खण्ड बरसाकौर के अन्तर्गत आता है;  
अनौठा खान, दिमारबोली, छिचौड़ा हीडा, बांस मोटर मार्ग के  
खण्ड में आरक्षित वन कक्ष संख्या 17 9.96 हे० क्षेत्रफल -  
क्षेत्रीय वृक्षारोपण हेतु -चयन किया गया है; आरक्षित वन  
क. सं० 17 के उत्तर कांस गांव स्थित है, यह क्षेत्र बंगला खण्ड  
खाली होने से इस क्षेत्र के वृक्षारोपण के लिए -चयनित किया  
गया है; वन क्षेत्र कार्यालय से इसकी दूरी लगभग 30 Km है, इस  
क्षेत्र की कचई 1124 मीटर है; क. सं० 17 में वर्ष 2018-19 में 9.96 हे०  
क्षेत्र में आग्नि-मुदा कार्य किया गया है, व वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण कार्य  
किया जा रहा;

  
राजनी कुमारी  
चम्पावत वन प्रभाग

  
80710 30

प्रोजेक्ट - 2 अंतर  
 डीडा नगर संख्या - 17 डाटाकीट नगर  
 डीडा फल - 996 हे०



संकीर्ण - नीला -  
 कुशल -  
 शीत -

(3)


स्टॉक मैप


(पूर्व में पाये जाने वाले प्रजातियों को नक्शे में दिखाकर चरपा किया जाय)

स्टॉक मैप, सर्वे मैप पर विभिन्न प्रजातियों को विभिन्न रंगों एवं घनत्व के अनुसार दर्शाया जाय।


प्रजातित्वार निम्न प्रारूप भरें।

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	संख्या	अभ्युक्ति (पुनर्जनन/घनत्व आदि)
1	2	3	4
1-	चीड़	70	
2-	कुकर	10	
3-	साल	20	

  
०० १० १०

  
जवाहर लाल  
कुमाऊँ रेवेन्यू  
अभ्यासक बर भन्दाप.

प्रयोगात्मक स्वयंसेवा प्लान  
 कक्षा संख्या - 17 आरक्षित वन  
 क्षेत्रफल - 9.96 हे



संकेत	- 1 -	गुन	- ↑↑	1750	पैर
	- 2 -	मेहल	↗↗	1200	
	- 3 -	बहेडा	↗↗	2528	
	4 -	बांस	↗↗	2385	
	5 -	फल्गु	- ↑↑	630	
	6 -	शीरा	↘↘	100	
	7 -	जामुन	↗↗	1993	
	8 -	आवला	↗↗	2650	
	9 -	चयस	↗↗	1700	
	10 -	जेठी	↗↗	900	
	11 -	कचारा	↗↗	100	
				<u>15936</u>	पैर

उषा  
 वा. आ. श.

(4)

### वृक्षारोपण एक्शन प्लान

- नोट- 1. नक्शा (मानचित्र) चिपकाया जाय।  
 2. विभिन्न प्रजातियों को विभिन्न रंगों में दर्शाया जाय।  
 7. प्रजातिवार एक्शन प्लान का गोश्वारा दिया जाय।

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	संख्या	किस स्थान पर लगायी जायेगी
1	2	3	4
1-	कुन	— 1750	
2-	मेहल	— 1200	दीडा
3-	लडेडा	— 2528	आराक्षत वन
4-	वास	— 2385	दीडा कक्ष संख्या
5-	फुल्लार	— 630	17
6-	शीडा	— 100	
7-	जागुन	— 1993	
8-	आंवला	— 2650	
9-	चूरा	— 1700	
10-	जेठी	— 900	
11-	क-प-ना	— 100	
		<u>15936</u> - पीए	

दीडा  
 आराक्षत वन

दीडा  
 कक्ष संख्या  
 17

दीडा  
 आराक्षत वन प्रभाव



(5)

पौधशाला का विवरण जहां से पौध लाई गई

पौधशाला का नाम	प्रजाति	पौध संख्या	वृक्षारोपण स्थल तक की दूरी मोटर रोड दुलान	सिर बोझ दुलान	पौधों की औसत ऊंचाई
1	2	3	4	5	6
गुरुना सन्तोला पौधालय	तुम	1750	30 कि०मी०	1.5 कि०मी०	4.5 से०मी०
	मेहल	900	"	"	4.0 "
	बहेड़ा	2528	"	"	5.0 "
	बांस	2385	"	"	4.5 "
	फल्याल	630	"	"	4.5 "
	शीठ	100	"	"	4.0 "
	जाशु	1993	"	"	4.5 "
	आंवला	2650	"	"	"
			<u>12936</u>		
दीडा पौधालय	मेहल	300	32 कि०मी०	1.5 कि०मी०	4.5 से०मी०
	चूरा	1700	"	"	4.0 "
	जेरी	900	"	"	4.0 "
	कचारा	100	"	"	4.5 "
			<u>3000</u>		

दिवा

अधीन ३०

३०

परिचालक  
काली कुमार्क रेन्ज  
चम्पारन वन प्रभाग.

सेवा में

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी मंडावय  
काशी कुमायूँ वन क्षेत्र

मंडावय,

पूर्वी क्षेत्रीय वन क्षेत्रगत क्र. 617 मं. 9.968  
केन्द्रीय वन क्षेत्र जंगली सुकरी द्वारा पौधों  
को काफी मात्रा में नुकसान पहुँचा गया  
है। जिस कारण पौध सुलने के कारण  
में हानि समय से वर्षा न होने के कारण  
भी पौध सुल रहे हैं।

अतः, मंडावय - पौंगर का बीज  
सुकरी किया गया था जिस कारण  
जंगली सुकरी द्वारा काफी नुकसान  
किया गया है।

- 1 - कौवली लगभग, - 10 पौध
- 2 - पौंगर - 20 पौध
- 3 - चूरा - 60 पौध

प्रमाणित  
[Signature]  
व. डी.  
[Signature]

[Signature]  
कुंवर सिंह वन क्षेत्र  
पूर्वी क्षेत्र  
दिनांक 29/12/23

### व्यय का ब्यौरा

1. प्रथम वर्ष में व्यय -	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	कुल
अ.	बनौ शीशिका	9.96 ई	1130.65
ब.	गड्डा सुदान	15936 ई.	136571.52
स.	शेरा में आडी बरान	5.35 ई	3656.51
द.	दीवाल बन्दी	728.10 ई.	2.88859.11
	निरीक्षण करिका निरीक्षण	9.96 ई	5952.09
	बल एच प्रि सिक्का कार्य	एच. बी. दी. वि. वि. अ. अ. अ. अ.	118702.00

प्रथम वर्ष प्रति हैक्टेयर व्यय..... 55550/.....

554,871.88

2. द्वितीय वर्ष का व्यय			
अ.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	63053.81
ब.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	32077.52
स.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	32077.52
द.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	21446.66
	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	13577.15
	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	38418.50
	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	28346.95
	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	4028.62
	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	2621.97
	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	3500

द्वितीय वर्ष प्रति हैक्टेयर..... 9.96 ई


284127.28

3. तृतीय वर्ष का व्यय			
अ.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	284127.28
ब.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	
स.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	
द.	बनौ शीशिका का निरीक्षण से बरान का सुदान	15936 ई.	

तृतीय वर्ष का व्यय प्रति हैक्टेयर.....

4. चतुर्थ वर्ष में व्यय-			
अ.			
ब.			
स.			
द.			

चतुर्थ वर्ष प्रति हैक्टेयर व्यय.....

  
 जयपुर का  
 जयपुर का  
 जयपुर का

सेवा में श्री मान वन सेवाधिकारी महोदय

काली कुमाऊ वन क्षेत्र

विषय - जंगली जानवरों द्वारा प्लान्टेशन में क्षति पहुंचाने वास्त  
महोदय

पूर्वी क्षेत्र के क.स. 17-9.96 हैं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण क्षेत्र में जंगली सूवर, सेदी, खरगोस धरड़ काकड़ द्वारा पौधों को क्षति पहुंचायी गयी है. जंगली सूवरो ने पाँवलों व पौधों को क्षति पहुंचायी गयी है.

आतः पौधों को क्षति निम्न प्रकार पहुंचायी गयी

तन - 75 पौध

फलदार - 42 पौध

बिठा - 30 पौध

जामून - 28 पौध

चपरा - 65 पौध

भाँवलों - 18 पौध

महोदय

उक्त क्षतिग्रस्त पौधों के स्थान पर पोंगर, बाज आदी के बीज बोया गया /

Mishra  
मोहन चंद्र तिवारी  
वन सारक्षी  
पूर्वी क्षेत्र की

(7)

### वृक्षारोपण पर किया गया व्यय

श्रमिक का नाम	श्रमिक के पिता का नाम	रिट संख्या	भुगतान का माह	भुगतान की धनराशि	माह में किए गए कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6

श्री वंशी राम

			8/2019	6834 = 00	देखरेख एवं अंशक्षण
			9/2019	6834 = 00	—
			10/2019 से 3/2020 = 7 माह = 47838 = 00		—
			4/2020 से 12/2020 = 9 माह = 61506 = 00		वन क्षेत्राधिकारी काली कुमाऊँ रेंज चम्पावत वन प्रभाग
			1/2021 से 3/2021 तक = 21924 = 00		—
			4/2021 से 6/2021 तक = 26100 = 00		देखरेख एवं अंशक्षण
			7/2021 से 9/2021 तक = 26100 = 00		—
			10/2021 से 12/2021 तक = 26100 = 00		—
			1/2022 से 3/2022 = 26100 = 00		—

वंशी राम —

4/2022 से 12/2023 तक @ 8306/29754 =

1/2024 से 3/2024 @ 3329/ = 9687

वन क्षेत्राधिकारी  
काली कुमाऊँ रेंज  
चम्पावत वन प्रभाग



सेवा में

श्रीमान वन श्रेताधिकारी  
काली कुमौड़ वन प्रभाग - कम्पान्त

महादय -

पूर्वी बीडा कक्ष सं ०१७ A में वृक्षा रोपण  
किया गया था जिसमें पौधों को सुरक्षा  
द्वारा बार-बार नुकसान किया जा रहा है  
जिसमें काफी मात्रा में पौध नष्ट हो  
गये हैं।

अतः महादय सूचनाका सेवा में प्रेषित,

कार्य  
वृक्षारोपण पंजीयन व  
संयोजित क्रम-24 डी.डी. लेखा में  
कीकता 17/02/2020

19-02-2020  
कुंवर सिंह नरबी०क०  
पूर्वी बीडा

(9)

### प्राकृतिक आपदायें

क्रमांक	प्राकृतिक आपदाओं का विवरण (मय दिनांक एवं समय सहित)
---------	---

जंगली कुत्तों द्वारा ~~उत्पन्न~~ प्रदूषण जो है



बनारस काठ रस  
बनारस बन प्रभाग.

दिसंबर 2021

तुण - 1575  
 मेहल - 1080  
 बहेडा - 2275  
 बांस - 2147  
 फल्यांट - 567  
 शीठा - 90  
 जामुन - ~~1774~~ 1794  
 आवला - 2387  
 च्युरा - 1530  
 गेठी - 810  
 कचनार - 90  
14345

ऊंचाई  
 • 55 से .70cm  
 • 55 - .70cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .70cm  
 • 55 + 60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm

सफलता प्रतिशत

वृक्षों को  
 10 मीटर तक  
 सुरक्षित रखें

90%

  
 क.ई.

जून 2022

तुण - 1505  
 मेहल - 1032  
 बहेडा - 2174  
 बांस - 2051  
 फल्यांट - 542  
 शीठा - 86  
 जामुन - 1714  
 आवला - 2279  
 च्युरा - 1462  
 गेठी - 774  
 कचनार - 86  
13705

• 55 - 0.70cm  
 • 55 - 0.70cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - 0.70cm  
 • 55 - 0.60cm  
 • 55 - 0.60cm  
 • 55 - 0.60cm  
 • 55 - 0.60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm

86%

वृक्षों को  
 सुरक्षित रखें

  
 क.ई.

दिसंबर 2022

तुण - 1505  
 मेहल - 1032  
 बहेडा - 2174  
 बांस - 2051  
 फल्यांट - 542  
 शीठा - 86  
 जामुन - 1714  
 आवला - 2279  
 च्युरा - 1462  
 गेठी - 774  
 कचनार - 86

13705

• 55 - 0.70cm  
 • 55 - 0.70cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - 0.70cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm  
 • 55 - .60cm

  
 सफलता प्रतिशत

काली कुमाऊँ सेवा  
 चमकवात वन प्र  
 क.ई.

86%


(10)

### वृक्षारोपण का सफलता प्रतिशत

नोट- प्रत्येक वर्ष 1 दिसम्बर व 1 जून को प्रजातिवार पौधों की गणना कर सफलता प्रतिशत अंकित की जाय।

वर्ष	प्रजाति का नाम	रोपण के समय		1 जून की स्थिति		
		संख्या	ऊंचाई	जीवित पौधों की संख्या	औसत ऊंचाई	जीवितता प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	तुन	1750	0.45 मी. 55"	1575		
	भरुला	1200	0.45 मी. 55"	1080		
	बदना	2528	0.45 मी. 55"	2275		
	वांस	2385	0.45 मी. 55"	2147		
	फल्गु	630	0.45 मी. 55"	567		
	रीठा	100	0.45 मी. 55"	90		
	जामुन	1993	0.45 मी. 55"	1794		
	आंवला	2650	0.45 मी. 55"	2387		
	झूला	1200	0.45 मी. 55"	1530		
	गोही	900	0.45 मी. 55"	810		
	फनना	100	0.45 मी. 55"	90		
		15936		14345	0.55 मी. 70"	90%

1 दिसम्बर की स्थिति जीवित पौधों की संख्या	औसत ऊंचाई	जीवितता प्रतिशत	अभ्युक्ति
8	9	10	11

01/12/2019	तुन 1750 भरुला 1200 बदना 2528 वांस 2385 फल्गु 630 रीठा 100 जामुन 1993 आंवला 2650 झूला 1200 गोही 800 फनना 100 <hr/> 15336	0.45 मी. 0.70 मी.	96.23%	वृक्षारोपण पौधों की क्षति पहुँचायी जा रही है। (काली रोग) से उकसाव हुआ है।  वन प्रभारी/कार काली मार्ग रेख बरुला, ज. प्रभाष.
------------	---	-------------------	--------	---

जून 2023

तुल	- 1522
बहेड़ा	- 2199
मेहल	- 1044
बांस	- 2075
फल्यांट	- 548
शीठा	- 87
जामुन	- 1757
आंवला	- 2305
च्युरा	- 1475
गेंडी	- 783
कचनार	- 87
<hr/>	
13882	

औसत ऊंचाई

• 55 से .75cm
• 55 - .75cm
• 55 - .80cm
• 55 - .80cm
• 55 - .80cm
• 55 - .80cm
• 55 - .80cm
• 55 - .70cm
• 55 - .75cm
• 55 - .80cm

सफलता प्रतिशत

87%  
— किशु  
बंसीधर  
व.ड.



दिसंबर 2023

तुल	- 1522
बहेड़ा	- 2199
मेहल	- 1044
बांस	- 2075
फल्यांट	- 548
शीठा	- 87
जामुन	- 1757
आंवला	- 2305
च्युरा	- 1475
गेंडी	- 783
कचनार	- 87
<hr/>	
13882	

• 55 से .75cm
• 55 से .75cm
• 55 - .80cm
• 55 - .80cm
• 55 - .80cm
• 55 - .80cm
• 55 - .75cm
• 55 - .75cm
• 55 - .70cm
• 55 - .75cm
• 55 - .80cm

87%  
— किशु  
बंसीधर  
व.ड.  
बंसीधर  
कुमार  
रेवती  
प्रमाण



## वृक्षारोपण कार्य-भारकों का विवरण

वर्ष	क्षेत्र के वन रक्षक का नाम	क्षेत्र के सेक्शन प्रभारी का नाम	क्षेत्र के उप वन रेंजर का नाम	क्षेत्र के वन रेंजर का नाम
1	2	3	4	5
2019-20	उपेश चंड मट्ट रेंजर सुवर सिंह	श्री. अनामनाथ गोस्वामी	—	श्री. हेम चंड गहलोटी 
2020-21	उपेश सिंह	13/2021 वैश्वी चंद जोशी	—	<del>श्री. लक्ष्मी चंद जोशी</del> रेंजर सुवर सिंह
2021-22	—	—	—	3/2022 से उपेश चंड जोशी क्षेत्र अधिकारी
2022-23	—	—	—	3/2022 से राजेश कुमार जोशी क्षेत्र अधिकारी
2023-24	—	—	—	 क्षेत्र अधिकारी काली कुमार्ज रेंजर सम्पात वन प्रभाग

### निरीक्षण टिप्पणियां

रेंज आफीसर तथा निरीक्षण के समय रोपावनी के प्रभारी कर्मचारी इन रोपावनीपंजी को उपरोक्त निरीक्षण अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें जो इनमें अपनी निरीक्षण टिप्पणियां लिखेंगे निम्नलिखित विषयों का उल्लेख हो।

- प्रत्येक प्रजाति के पौधों की औसत, अधिकतम तथा न्यूनतम ऊंचाई तथा ब्यास।
- प्रजाति को आपस में विरचना तथा प्रत्येक की प्रतिशत विरचना।
- फसल की साधारण तथा
- सुधार तथा परिपालन कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव।

दिनांक	हस्ताक्षर	अवलोकन अभ्युक्ति तथा सुझाव
23.7.2020	 FRO, Kal. Kumar	धाले भली प्रकार कनाये गये हैं। कुछ पौध सूखी हुई हैं। पिछले वर्षोंकाल में प्रोत्साहित किया जाय। क्षतिग्रस्त कुली दीवार की शिफा रक्षा के माध्यम से सम्भल कर ली जाय।
11/08/2023		आज दिनांक 11/08/2023 को वीडि लक्ष सं. 17 के 9.96 हे. क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण संबंधित स्टाफ को साथ लेकर किया गया। गोले पर वनीकरण श्रमिक पाये गये। वनीकरण क्षेत्र में अधिकांश पौधा बढ़त लिए हुए पायी गयी। वनीकरण श्रमिक द्वारा अकाल कराया गया कि क्षेत्र अंतर्गत सुअर, सेही, घुरड़ आदि द्वारा पौधों को क्षति पहुंचायी जा रही है। इसी क्रम में संबंधित स्टाफ को निर्देशित किया कि मृत पौधों के स्थान पर बीज बोये। एवं सफलता प्रतिशत अधिक बढ़ाना सुनिश्चित करें।  काली कुमार रेंज सम्पादित वन प्रभाग